

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 114 तिथि- 23.02.2021 के संदर्भ में

मेसर्स रुद्राक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर-श्री भानु कुमार, पिता-स्व० पारस नाथ पाण्डेय, पता-द्वितीय तल, चन्द्रा भवन, मुरलीचक, जगदेव पथ, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
(ग) भवन के पुनःनिर्माण
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 1.1.4. प्लॉट नं०- 330(P), खाता नं०- 153, तौजी नं०-, थाना नं०- 37, मौजा- कोथवॉ, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-....32.../21-22 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 2982.90 वर्ग मीटर एवं B+G+6 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 955.18 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 18.29 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 0.0 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Rudraksha Infrastructure
PARTNER

RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Rudraksha Infrastructure
PARTNER

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 114 तिथि- 23.02.2021 के संदर्भ में

मेसर्स रुद्राक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर-श्री भानु कुमार, पिता-स्व० पारस नाथ पाण्डेय, पता-द्वितीय तल, चन्द्रा भवन, मुरलीचक, जगदेव पथ, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
(ग) भवन के पुनःनिर्माण
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 1.1.4. प्लॉट नं०- 330(P), खाता नं०- 153, तौजी नं०-, थाना नं०- 37, मौजा- कोथवॉ, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-....32.../21-22 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 2982.90 वर्ग मीटर एवं B+G+6 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 955.18 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 18.29 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 0.0 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Rudraksha Kumar
PARTNER

RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Rudraksha Kumar
PARTNER

- (अ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ब) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / श्रम संसाधन विभाग / आयकर विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भूगतान आपके द्वारा देय होगा।
- (द) नगर परिषद दानापुर निजामत को कभी भी कोई नियम / शर्त लगाने का अधिकार होगा।
- (ध) अन्य शर्त
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

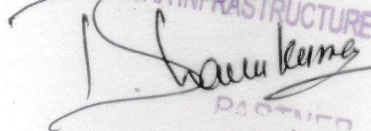
ज्ञापांक:-32...../दिनांक:- ..10/07/2021

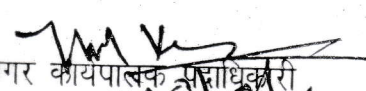
प्रतिलिपि:- मेसर्स रुद्राक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर-श्री भानु कुमार, पिता-स्व0 पारस नाथ पाण्डेय, पता-द्वितीय तल, चन्द्रा भवन, मुरलीचक, जगदेव पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE


PARTNER

RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE


PARTNER


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत





Nagar Parishad Danapur Nizamat
Building Permission



Approval Letter - Building Permit

Letter No: 32

Letter Date: 10/07/2021

Approval No: BPA/00032/2021-22

Approval Date: 10-JUL-2021

With respect to your Application No 21221020200006 dated 02-FEB-2021, permission is hereby granted in favour of;

Mr. Bhandu Kumar

Address: Danapur, patna

for Construction of Residential Building

in respect of Ward Ward 40, Plot No. (CS)/Khasra No. 330p, Plot No (MSP) 330p, Khata No. 153 of Nagar Parishad Danapur Nizamat subject to following conditions/restrictions.

- The Building shall be used exclusively for Residential purpose and the uses shall not be changed to any other use without prior approval of this Authority.
- The development shall be undertaken strictly according to plans enclosed with necessary permission endorsement.
- Parking space, measuring 955.18 sq.m. as shown in the approved plan shall be kept open and no part of it will be built upon.
- The land over which construction is proposed is accessible by an approved means of access of 18.29 m. width.
- The land in question must be in lawful ownership and peaceful possession of the applicant.
- The permission is valid for period of three years with effect from the date of issue.
- Permission accorded under the provision cannot be construed as evidence in respect of right title interest of the plot over which the plan is approved.
- Any dispute arising out of land record or in respect of right/ title/ interest after this approval the plan shall be treated automatically cancelled during the period of dispute.
- Any other conditions.
 - The permission is valid for period of three years with effect from the date of issue.
 - Permission accorded under the provision cannot be construed as evidence.
 - Any dispute arising out of land record or in respect of right/ title/ interest after this approval the plan shall be treated automatically cancelled during the period of dispute.

Copy along with 2 copies of the approved plans to Mr. Bhandu Kumar

[Signature]
By Order
Authorised Officer/
Authority

RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE

[Signature]
PARTNER

RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE

[Signature]
PARTNER

